

**बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या FC-1105

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा० व० से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 30/10/2017

विषय — दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल—सिंधिया भाया पिपरा पथ में सिंधिया—हिरणी 10.00—13.10 कि०मी० पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 4.8856 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल—सिंधिया भाया पिपरा पथ में सिंधिया—हिरणी 10.00—13.10 कि०मी० पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 4.8856 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेनीपुर (दरभंगा) का प्रस्ताव वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। इस क्रम में वर्तमान पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 4.8856 हे० वन भूमि एवं 267 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला द्वारा किया गया है। पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) का प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 4.8856 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अवकृष्ट 9.7712 हे० वन भूमि अर्थात् 10.00 हे० को चिन्हित (ककवारा टोला रतौठिया रक्षित वन) करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

C/C

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 4.8856 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रु० 30,58,386/— (रुपये तीस लाख अनठावन हजार तीन सौ छियासी) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 4.8856 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये बाँका प्रक्षेत्र अन्तर्गत 10.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि ककवारा टोला रतौठिया रक्षित वन में चिन्हित करते हुए रु० 32,05,936/— मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/— रुपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

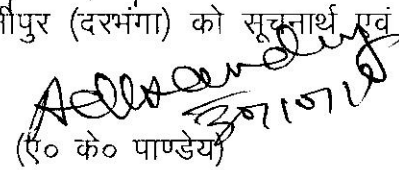
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC-1105

दिनांक— 30/10/2017

प्रतिलिपि — कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेनीपुर (दरभंगा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

9/c